



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2013/फाल्गुन 1, 1934

No. 98]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 11 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 108(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में क्रय एवं भंडार काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (क्रय एवं भंडार) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभों में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभों में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरंभिक गठन.—अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट ऐसे पदधारी जो विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 22/1/4/90-सीसीएस/838 तारीख 19-07-1990, 5/2(8)/77-(आरआरसी) प्रशा.-II तारीख 10-09-1979, 22/1/1/84-सीसीएस/1030 तारीख 16-11-1993, 5/2(8)/77-(आरआरसी) प्रशा.-II तारीख 29-04-1980, 16/5(10)/75-पीपी(आरआरसी) तारीख 25-05-1977, 22/1(1)/92-सीसीएस/262 तारीख 28-04-2000 एवं 25/1(1)/84-सीसीएस/357 तारीख 23-06-1992 के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पदों को धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले अनुसूची 1 से 12 में उल्लिखित पदों पर उनकी नियमित और निरंतर सेवा को प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : परमाणु ऊर्जा विभाग खंड 4 में उल्लिखित अपने कार्यालय ज्ञापनों के उपबंधों के अनुसार क्रय एवं भंडार काडर में अधिकारियों की नियुक्तियां करेगा। ऐसा आरंभिक गठन इस विभाग द्वारा बनाए गए इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा को जारी रखने के लिए अपेक्षित है। इस आरंभिक गठन के उपबंध करने से और इन नियमों के उपबंधों के भूलक्षी प्रभाव से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

अनुसूची I

(1) पद नाम	(2) पदों की संख्या	(3) आधारण सेवा समूह "क" सम्बन्धित	(4) वेतन बैंड ग्रेड वेतन/ वेतनमान	(5) चयन अथवा अचयन पद	(6) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (उदा. विभागीय/अजा/अजवा/अधिब, पीएलएसी आदि के अभ्यर्थियों के लिए कोई छूट उपलब्ध है तो यहाँ पर इसका उल्लेख किया जाए)	(7) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के अयोग्य और शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	(8) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोक्त व्यक्तियों की रण में लागू होंगी या नहीं।	(9) परिष्कार की अवधि, यदि कोई हो।	(10) भर्ती की विधि : भर्ती सीधे होगी या प्रोजेक्टि द्वारा या प्रतिनिधित्व द्वारा या प्रतियोगिता विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतियोगिता	(11) प्रोजेक्टि/प्रतिनिधित्व/आमेलन द्वारा भर्ती की रण में वे श्रेणियां जिनसे प्रोजेक्टि/प्रतिनिधित्व/आमेलन किया जाएगा।	(12) यदि विभागीय प्रोजेक्टि सभिति /चयन सभिति है, तो उसकी संरचना	(13) भर्ती करने में दिन परिस्थितियों में संब लोके सेवा आयोग से परायर्ष किया जाएगा
1. उप निदेशक (अथ एव भंडार)	5*	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" सम्बन्धित	वेतन बैंड-3 15600 - 39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोजेक्टि : ऐसा अथ अधिकारी अथवा भंडार अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, में से चयन के द्वारा।	(1) सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अथवा (2) निदेशक, भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र - सदस्य (3) अथ सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य (4) निदेशक, अथ एव भंडार - सदस्य (5) संबद्ध विद्या विशेष में विशेषज्ञ जिसे सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य	लागू नहीं होता	

प्रतिनिधित्व:

परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन
बैंड-3 15600-39100 रु. +
ग्रेड वेतन 7600 रु. में कार्यरत
शैक्षणिक : अधिकारियों
इंजीनियरों अथवा केंद्रीय सेवाएं
समूह "क" के ऐसे अधिकारियों
जो सदस्य श्रेणी में पद धारण

<p>किये हुए हैं या मिलने उम्मेद निम्नतः श्रेणी में ग्रेड सेतन 6600/- रु. में पाँच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है तथा जो उपायन एवं/वा सामग्री प्रबंधन में अनुभव रखते हैं, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p><u>टिप्पण - 1 :</u> मूल संवर्ग में प्रोन्नति होने की दशा में वैधानिक अधिकारी/इंजीनियर अपने मूल संवर्ग में सेतन आहरित करेंगे/करेंगी।</p>	<p><u>टिप्पण - 2 :</u> प्रोन्नति के लिए पात्रता अर्थात् की संगणना के लिए निर्णायक तारीख रिकॉर्ड पद वाले वर्ष की। जनवरी होगी।</p>	<p><u>टिप्पण - 3 :</u> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में मिलने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्योष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें</p>

<p>से जो भी काम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या यात्रा सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा को अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संगणना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमोदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संगणना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. क्रय अधिकारी	13* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	सेतन बँड-3 15600 - 39100 रु. + प्रेड वेतन 6600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	को अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(1) क्रय एवं भंडार के भारसाधक अथवा सचिव/संयुक्त सचिव - अध्यक्ष (2) निदेशक, क्रय एवं भंडार - सदस्य (3) नियंत्रक, पामा परमाणु अनुसंधान केंद्र - सदस्य (4) अन्य सरकारी विभाग के	लागू नहीं होता
		प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों /पंचालयों के उपयुक्त अधिकारी जो संदेश अथवा समकक्ष पद धारित किये हुए हों।								प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों /पंचालयों के उपयुक्त अधिकारी जो संदेश अथवा समकक्ष पद धारित किये हुए हों।		

टिप्पण - 2 :

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आने से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सम्पत्तापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण - 3 :

प्रोत्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्बिन्तः वेतन संरचना का विस्तार किया गक है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर

<p>आधारित विस्तारित तत्स्थानी प्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमोदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छुटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, निर्धारित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण प्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और यहां यह लाभ केवल उस पर (उन परों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए प्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नत का साधारण प्रतिस्थापन प्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी प्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>टिप्पण -4: चयन में अर्थदियों का साक्षात्कार अंतर्भावित होगा।</p>
<p>टिप्पण -5: घोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. मंडल अधिकारी	08* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	वेतन बैंड-3 15600 - 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन पर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे सहायक मंडल अधिकारियों में से जिनमें वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800/5400 रु. की श्रेणी में छह वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, के सम्भाव्यता के माध्यम से चयन द्वारा। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों/मंत्रालयों के उपयुक्त अधिकारी	(1) क्रय एवं मंडल के भारसाधक अपर सचिव/संयुक्त सचिव - अथवा (2) निदेशक, क्रय एवं मंडल - सदस्य (3) नियंत्रक, भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र - सदस्य (4) अन्य सरकारी विभाग के क्रय एवं मंडल संवर्ग का समूह का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

<p>को सहज अथवा सम्भव पद धरित किये हुए हों।</p> <p>टिप्पण-1: प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना के लिए निर्णायक तारीख रिकॉर्ड पर वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण-2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण-3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी</p>	

अनुसूची 2

(1) पद का नाम	(2) पदों की संख्या	वर्गीकरण	केतन बैंड ग्रेड वेतन/केतनमान	चयन अवधि/अवधि पर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (लव्हा. विभागीय/अवधि/अवधि/अवधि/पीडब्ल्यूडी आदि के अर्थवर्षों के लिए कोई छूट उपलब्ध है तो यहाँ पर इसका उल्लेख किया जाए	सीधे भर्ती जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं	सीधे भर्ती जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं	परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो।	पदों को खोले : पदों सीधे होगी या प्रोत्ति द्वारा या प्रतिनिधुक्ति/आयुक्तन द्वारा तथा विविध पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(11) प्रोत्ति/प्रतिनिधुक्ति/आयुक्तन द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां गिनते प्रोत्ति/प्रतिनिधुक्ति/आयुक्तन किया जाएगा।	(12) यदि विभागीय प्रोत्ति समिति है, तो उसकी संरचना	(13) भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1. सहायक क्रय अधिकारी	34* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित (अनुसूचितवर्गीय)	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. (4 वर्ष के बाद ग्रेड वेतन 5400 रु.)	चयन एवं अक्षयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	(1) 80 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा चयन (2) 20 प्रतिशत अक्षयन	(1) निर्देशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - अथवा (2) संयुक्त निर्देशक अथवा उप निर्देशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (3) आंतरिक वित्तीय सहायक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (4) केंद्रीय सरकार के अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के क्रय विभाग के उपयुक्त ग्रेड का एक प्रतिनिधि - सदस्य	लागू नहीं होता		

<p>(2) अर्थवत्तः ऐसे क्रय सहायक विन्दने वेतन बैंक-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. की श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है तथा वेतन बैंक-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. की श्रेणी में ऐसे वरिष्ठ क्रय सहायक विन्दने क्रय सहायक तथा वरिष्ठ क्रय सहायक की श्रेणियों में आठ वर्ष की सम्मिलित अर्हक सेवा पूरी कर ली है तथा जो विश्ववीथ परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद क्रय सहायक के पद पर नियुक्त किए गए हैं।</p>	<p>दृष्टिगण-1: प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना के लिए निर्णायक तारीख रिक पद वाले वर्ष की। जनवरी होगी।</p> <p>दृष्टिगण-2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विन्दने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके उच्च व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित</p>

<p>अर्हक या पात्रता सेवा के आवे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्हें अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, लिखिते ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवर्धिता की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
<p><u>टिप्पण - 3 :</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे बड़े केंद्रीय वेतन आयोग - की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जायगी। प्रतिनियुक्ति/आसेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे बड़े वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. सहायक पंढार अधिकारी	52* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" रखपत्र (अनुसूचीबद्ध)	वेतन बैंड-2 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. (4 वर्ष के बाद ग्रेड वेतन 5400 रु.)	चयन एवं अवयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	(1) 80 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा चयन (2) 20 प्रतिशत अवयन	(1) सीमित विभागीय परीक्षा तथा विभागीय प्रवृत्ति समिति द्वारा साक्षात्कार माध्यम से चयन (क) ऐसे स्टोकोपर जिन्होंने वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. की श्रेणी में न्यूनतम 6 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। (ख) वेतन बैंड-2 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. की श्रेणी में ऐसे ज्येष्ठ स्टोकोपर जिन्होंने स्टोकोपर तथा ज्येष्ठ स्टोकोपर की श्रेणियों में 6 वर्ष की सम्मिलित	(1) निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - अय्यक (2) संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (3) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (4) केंद्रीय सरकार के अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के क्रय विभाग के उपयुक्त ग्रेड का एक प्रतिनिधि - सदस्य	लागू नहीं होता

सेवा को, सिवाय उस दशा के
जहां एक से अधिक पूर्व
पुनरीक्षित वेतन का साधारण
ग्रेड वेतन/वेतनमान सीमित एक
श्रेणी में विलय हो गया है और
वहां यह फसदा केवल उस पद
(अन पदों) पर विस्तारित होगा
जिसके लिए ग्रेड वेतन
वेतन/वेतनमान बिना किसी
अवयन का साधारण प्रतिस्थापन
ग्रेड है, आवोग की सिफारिशों
पर आधारित विस्तारित
तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में
की गई सेवा सम्पूरी जाएगी।

टिप्पणी-4:

चयन में अर्थविवर्तों का
साक्षात्कार अंतर्वर्तित होगा।

<p>कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्थक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्थक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्थक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोत्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवाधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	
<p>टिप्पण - 3 :</p>	
<p>प्रोत्ति के लिए न्यूनतम अर्थक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	
<p>प्रतिनियुक्ति/आमलेन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन</p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. क्रय सहायक	72* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ब' अन्तर्गत (अप्राथमिक)	वेतन ईडि-2 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन एवं अचयन पर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(1) 80 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा चयन (2) 20 प्रतिशत अचयन	(1) सीमित विभागीय परीक्षा तथा विभागीय प्रोत्तति समिति द्वारा चयन: ऐसे कनिष्ठ क्रय सहायक जिन्होंने वेतन ईडि-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। (2) अप्रत्यक्ष: ऐसे कनिष्ठ क्रय सहायक जिन्होंने वेतन ईडि-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400	(1) संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - अथवा (2) उप लेखा निदेशक अथवा लेखा अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सतस्य (3) क्रय अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सतस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सतस्य (5) परामर्श उर्ध्व विभाग की किसी संयुक्त इकाई से एक	लागू नहीं होता

संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस द्वा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनर्दक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान संश्लिष्ट एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां एक फायदा केवल उस पर (उन पर) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी अपेक्षा का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित सतस्य/ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण-4:

चयन में अर्हकियों का सहाकार अंतर्विलित होगा।

<p>वैधानिक अधिकारी/इन्स्पेक्टर ग्रेड "डी" अथवा इतसे ऊपर की ग्रेड का एक अधिकारी - सदस्य</p>	<p>र. की श्रेणी में न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।</p> <p>टिप्पण - 1 : प्रोत्ति के लिए पात्रता अवधि की संगणना के लिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की। जनवरी होगी।</p> <p>टिप्पण - 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिनको अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिनको ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोत्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण - 3 : प्रोत्ति के लिए न्यूनतम अर्हक</p>

<p>सेवा को संपादन करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा सम्झी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमेतन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलम्ब हो गया है और वहाँ यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा सम्झी जाएगी।</p>

692 GI/13-6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4. स्टोर कीपर	166* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिचालन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" अराजकश्रित (अननुसूचितबीपी)	वेतन बैंड-2 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन एवं अवधान पर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	(1) 80 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा चयन (2) 20 प्रतिशत अवधान	टिप्पण-4 : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्भूत होगा। (11)	(12) (1) संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, क्रय एवं मंडार निदेशालय - अचक्ष (2) उप लेखा नियंत्रक अथवा लेखा अधिकारी, क्रय एवं मंडार निदेशालय - सदस्य (3) मंडार अधिकारी, क्रय एवं मंडार निदेशालय - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, क्रय एवं मंडार निदेशालय - सदस्य (5) परमाणु ऊर्जा विभाग की फिक्सी संघटक इकाई से एक वैधानिक अधिकारी/पूर्वाधिकार ग्रेड "डी" अथवा इससे ऊपर की ग्रेड का अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता
										टिप्पण-1 : प्रोत्ति के लिए पात्रता अवधि की संगणना के लिए निर्णायक तारीख रिकॉर्ड पद वाले वर्ष की। जनवरी होगी। टिप्पण-2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ		

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिनमें ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण - 3 :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय क्षेत्र आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्बिधा क्षेत्र संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड क्षेत्र/क्षेत्रमन पर की गई सेवा सम्मिली जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आमेहन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छोटे क्षेत्र

	<p>आयोग को सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहाँ यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी अद्ययन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग को सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>										
	<p>टिप्पण - 4:</p>										
	<p>चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्बिलत होगा।</p>										

अनुसूची 3

(1) पद का नाम	(2) पदों की संख्या	(3) वर्गीकरण	(4) वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/वेतनमान	(5) चयन एवं अचयन पर	(6) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (व्य. विभागीय/अन्य/अवकाश/अपेक्षित, पीडब्ल्यूडी आदि के अर्थवर्गों के लिए कोई छूट उपलब्ध है तो चर्चा पर इस्का उल्लेख किया जाए	(7) सीधे भर्ती जाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	(8) सीधे भर्ती जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु शैक्षिक और शैक्षिक अर्हताएं प्रोक्त व्यक्तियों को वरदा में लागू होगी या नहीं।	(9) परीक्षा की आवधिकता यदि कोई हो।	(10) पदों की विधि : पदों सीधे होगी या प्रोत्ति द्वारा या प्रतिनिधिक /आवेदन द्वारा तथा विभिन्न पदवर्गों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(11) प्रोत्ति/प्रतिनिधिक/आवेदन द्वारा भर्ती की दशा में से प्रोत्ति/प्रतिनिधिक/आवेदन किया जाएगा।	(12) यदि विभागीय प्रोत्ति संभव है, तो उसकी संख्या	(13) पदों करने में किन परिस्थितियों में संश्लेषण से परापूर्व किया जाएगा
1. कनिष्ठ क्रय सहायक	130* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिचालन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराज्यप्रति (अननुसूचितवर्ग)	वेतन बैंड-1 5200-20200 र. + ग्रेड वेतन 2400 र.	चयन एवं अचयन पर	27 वर्ष टिप्पण: (1) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य कतिपय पिछड़े वर्गों के लिए स्थितियों और अन्य प्रवर्गों के लिए छूट योग्य। (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सामग्री प्रबंधन में डिग्री को प्राथमिकता दी जाएगी।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष प्रोक्त व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं	90 प्रतिशत - प्रतियोगी परीक्षा तथा चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा 8 प्रतिशत - सीमित विभागीय परीक्षा तथा चयन से प्रोत्ति के द्वारा 2 प्रतिशत अचयन	(1) सीमित विभागीय परीक्षा तथा विभागीय प्रोत्ति समिति द्वारा चयन: ऐसे क्रय लिपिक/मंडार लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1 5200-20200 र. + ग्रेड वेतन 1900 र. की श्रेणी में न्यूनतम 4 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। (2) अचयन: ऐसे क्रय लिपिक/मंडार लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1 5200-20200 र. + ग्रेड वेतन 1900 र. की श्रेणी में न्यूनतम 8 वर्ष की अर्हकसेवा पूरी कर ली है।	(1) उप निदेशक, क्रय एवं मंडार निदेशालय - अर्थक्षेत्र (2) उप लेखा नियंत्रक अथवा लेखा अधिकारी, क्रय एवं मंडार निदेशालय - सदस्य (3) क्रय अधिकारी, क्रय एवं मंडार निदेशालय - सदस्य (4) मंडार अधिकारी, क्रय एवं मंडार निदेशालय - सदस्य (5) प्रशासनिक अधिकारी, क्रय एवं मंडार निदेशालय - सदस्य (6) परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी संवटक इकाई से एक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड "डी" अथवा इससे ऊपर की ग्रेड का एक अधिकारी - सदस्य	टिप्पण - 1 : प्रोत्ति के लिए

<p>पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी/पद में नियुक्ति अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ से तैयार की जायेगी।</p> <p><u>टिप्पण - 2 :</u> प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना के लिए निर्णायक तारीख रिकॉर्ड वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी।</p> <p><u>टिप्पण - 3 :</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिनोंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके श्रेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों से श्रेष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, आली उखार श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p><u>टिप्पण - 4 :</u></p> <p>प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक</p>
<p>लिए कोई अन्य आयु शिथिलता के साथ संघर्ष रूप शिथिलता (3) आयुसीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख यह होगी जो भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्रों के प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख हो। (अंदाजित एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से प्रिक)</p>	

<p>सेवा को संपादन करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा सम्पन्नी जाएगी। प्रतिनियुक्ति/आभेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह फलदा केवल उस पर (उन पर) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी अग्रयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा सम्पन्नी जाएगी।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. कनिष्ठ स्टोर कोपर	303* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ग" अनुसूचितवीथी (आव्यक्ति)	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	चयन एवं अचयन पर	27 वर्ष टिप्पणः (1) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य कतिपय पिछड़े वर्गों के लिए शिथिलनीय और अन्य वर्गों के लिए छूट योग्य। (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई अन्य आयु शिथिलता के साथ संघीय रूप शिथिलनीय (3) आयुसीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख वह होगी जो भारत में अधिसूचितों से आवेदन पत्रों के	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा को प्राथमिकता दी जाएगी।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष प्रोक्त व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं	90 प्रतिशत - प्रतियोगी परीक्षा तथा चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा 8 प्रतिशत - सीमित विभागीय परीक्षा तथा चयन से प्रोक्ति के द्वारा 2 प्रतिशत अचयन	टिप्पणी 5: चयन में अधिसूचितों का साक्षात्कार अंतर्भूत होगा। (1) सीमित विभागीय परीक्षा तथा विभागीय प्रोक्ति समिति द्वारा चयन: ऐसे क्रय लिपिक/भंडार लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में न्यूनतम 4 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। (2) अचयन: ऐसे क्रय लिपिक/भंडार लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में न्यूनतम 8 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है। टिप्पण - 1 : प्रोक्ति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी/पद में निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ से तैयार की जाएगी। टिप्पण - 2: प्रोक्ति के लिए पात्रता अर्हक की संगणना के लिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी।	(1) उप निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - अम्बाला (2) उप लेखा निबंधक अथवा लेखा अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (3) क्रय अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (4) भंडार अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (5) प्रशासनिक अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य (6) परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी सचटक इकाई से एक वैधानिक अधिकारी/इन्वोनियर ग्रेड "डी" अथवा इससे ऊपर की ग्रेड का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

	<p>टिप्पण - 3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, विद्वहने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके उच्च व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, विद्वहने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
	<p>टिप्पण - 4: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा को संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्कृत वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>
<p>प्राप्ति के लिए अतिम तारीख हो। (अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के से अर्थात् से (विश्व))</p>	

<p>प्रतिनियुक्ति/आयोजन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीकित वेतन सरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीकित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उभयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	

[फा. सं. 22/1(1)/2010-सीसीएस/Vo-II/2046]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक

टिप्पण - 5 :

चयन में अर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वर्षित होगा।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th February, 2013

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in Purchase and Stores Cadre, Department of Atomic Energy (DAE), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Purchase and Stores) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and the pay band and grade pay/pay scale.—The number of the said posts, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified at columns of the Schedules annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified at columns of the said Schedules annexed to these rules.

4. Initial Constitution.—The incumbents of the posts specified in the Schedules holding the said posts on regular basis in accordance with the provisions of the Department's OM Nos. 22/1/4/90-CCS/838 dated 19-07-1990, 5/2(8)/77-(RRC) Admn. II dated 10-9-1979, 22/1/1/84-CCS/1030 dated 16-11-1993, 5/2(8)/77-RRC/Admn.II dated 29-4-1980, 16/5(10)/75-PP(RRC) dated 25-05-1977, 22/1(1)/92-CCS/262 dated 28-04-2000 and 25/1(1)/84-CCS/357 dated 23-06-1992 shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service as the posts mentioned in Schedules 1 to 12 immediately before the commencement of these rules shall be accounted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage, with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Explanatory Memorandum.—The Department of Atomic Energy made the appointments of officers in Purchase and Stores cadres in accordance with provisions of its Office Memoranda mentioned in clause 4. As such the initial constitution is required for continuation of service under the provisions of these rules being made by the Department. By providing this initial constitution and retrospective effect to the provisions of the rules no one is being adversely affected.

SCHEDULE I

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band with Grade Pay/Scale	Whether Selection Post or Non-selection Post.	Age limit for Direct Recruits if any relaxation is available (e.g. Departmental candidates SC/ST/OBC, PWD etc.) to be mentioned here)	Education and other qualifications required for Direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of Recruitment: whether by direct recruitment or promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption from which grades promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Deputy Director (Purchase and Stores)	5 * (2013) (*Subject to variation depending on workload)	General Central Service, Group 'A' Gazetted	PB-3 Rs. 15600-39100 + GP Rs. 7600	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: By Selection from among officers holding the post of Purchase Officer or Stores Officer with 5 years qualifying service in PB-3 Ra. 15600-39100 + GP Ra. 6600.</p> <p>Deputation: By Deputation of scientific officers/Engineers in the Department of Atomic Energy in PB-3 Ra. 15600-39100 + GP Ra. 7600 OR Officers from Central Services Group 'A' holding analogous posts or lower grades with Grade pay of Ra. 6600/- with a qualifying service of 5 years and having experience in procurement and/or materials management.</p> <p>Note 1: In the event of promotion in the parent cadre, the Scientific Officer/Engineer shall draw the pay in his/her parent cadre.</p> <p>Note 2: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being</p>	<p>(1) Secretary, Department of Atomic Energy-Chairman</p> <p>(2) Director, Bhabha Atomic Research Centre- Member</p> <p>(3) Additional Secretary, Department of Atomic Energy-Member</p> <p>(4) Director, Purchase and Stores- Member</p> <p>(5) Expert in the relevant discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy-Member</p>	Not Applicable

considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 4:

For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 5:

The selection will involve interview of the candidates.

Note 6:

The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Purchase Officer	13* (2013) (* Subject to variation depending upon workload)	General Central Service, Group "A" Gazetted.	PB-3, Ra. 15600-39100 + GP Ra. 6600/-	Selection Post	Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By Promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: By selection, by interview from amongst Assesment Purchase Officers in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4800/5400 with six years of qualifying service in the grade.</p> <p>Deputation: Suitable Officers from other Central Government Departments/ Ministries holding analogous or equivalent post.</p> <p>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility</p>	(1) Adtl. Secretary/ Joint Secretary, in-charge of Purchase and Stores - Chairman. (2) Director, Purchase and Stores - Member (3) Controller, Bhabha Atomic Research Centre - Member (4) A Group 'A' Officer of Purchase and Stores cadre from other Government Department - Member.	Not Applicable

	<p>services.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.</p> <p>Note 5: The Department officers in the leader category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 6: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Stores Officer	08* (2013) * Subject to variation depending upon workload	General Central Service, Group 'A' Casteed.	PB-3, Ra. 15600-39100 + GP Ra. 6600/-	Selection Post	Net Applicable	Not Applicable	Net Applicable	Two years	By Promotion failing which by deputation.	<p>Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.</p> <p>By promotion: By selection by interview from amongst Assistant Stores Officers in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4800/5400 with six years of qualifying service in the grade.</p> <p>Deputation: Suitable Officers from other Central Government Departments/ Ministries holding analogous or equivalent post.</p> <p>NOTE 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.</p> <p>NOTE 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>NOTE 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or</p>	<p>(1) Secretary/ Joint Secretary, in-charge of Purchase and stores- Chairman</p> <p>(2) Director, Purchase and Stores - Member.</p> <p>(3) Controller, Bhabha Atomic Research Centre- Member.</p> <p>(4) A Group 'A' Officer of Purchase and stores centre from other Government Department Member.</p>	Not Applicable

<p>pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.</p> <p>Note 5: The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 6: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.</p>

692 GI/13-10

SCHEDULE II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band with Grade Pay/Scale	Whether Selection Post or Non-selection Post.	Age limit for Direct Recruits (if any relaxation is available e.g. Departmental candidates SC/ST/OBC . PWD etc.) to be mentioned here)	Essential and other qualifications required for Direct recruits	Whether age and educational qualifications as prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of Recruitment: whether by direct recruitment or promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/absorption/ deputation/absorption from which grade from which promotion/absorption/ deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1. Assistant Purchase Officer	34* (2013) (* Subject to variation depending upon work-load).	General Central Service Group 'B' (Unsettled) (Non-Ministerial)	PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4800. (GP Ra. 5400 after 4 years)	Selection & Non-Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.	No	(1) 80% - By Limited Departmental Examination and Selection (2) 20% - Non-selection	(1) Limited Departmental examination and selection by interview by Departmental Promotion Committee. (a) Purchase Assistants in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a minimum of 6 years of qualifying service in the grade. (b) Senior Purchase Assistants in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a combined qualifying service of 6 years as Purchase Assistant and Senior Purchase Assistant. (2) Non-selection: Purchase Assistants in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a minimum of 8 years regular service and Senior Purchase Assistants in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a minimum of 6 years combined qualifying service as Purchase Assistant and Senior Purchase Assistant who have been appointed to the post of Purchase Assistant after qualifying in the Departmental examination. Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year.	(1) Director, Directorate of Purchase and Stores - Chairman (2) Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores - Member. (3) Internal Financial Adviser, Directorate of Purchase and Stores - Member. (4) A representative of appropriate grade from the Purchase Department of other Central Government or Public Sector Undertaking - Member.	Not Applicable

<p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Assistant Stores officer	57* (2013) * Subject to variation depending upon workload.	General Central Service Group "B" Casteed (Non-Ministerial)	PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4800. (GP 5400 after 4 years)	Selection & Non-selection Post	Not Applicable	Not applicable	Not Applicable	No	(1) 80% - By Limited departmental Examination and selection (2) 20% - By Non-selection	(1) Limited Departmental examination and selection by interview by Departmental Promotion Committee. (4) Storekeepers in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a minimum of 6 years qualifying service in the grade. (5) Senior Storekeepers in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a combined qualifying service of 6 years as Storekeeper and Senior Storekeeper. (2) Non-selection. Storekeepers in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a minimum of 8 years qualifying service and Senior Storekeepers in PB-2 Ra. 9300-34800 + GP Ra. 4200 with a minimum of 8 years combined qualifying service as Storekeeper and Senior Storekeeper who have been appointed to the post of storekeeper after qualifying in the Departmental examination	(1) Director, Directorate of Purchase and Stores - Chairman. (2) Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores - Member (3) Internal Financial Adviser, Directorate of Purchase and Stores - Member (4) A representative of appropriate grade from the Stores Department of other Central Government or Public Sector Undertaking - Member.	Not Applicable
										<p>Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Purchase Assistant	721 (2013) (* Subject to variation depending upon workload).	General Central Service Group 'B' Non-Ministerial (Non-Gazetted).	PB-2 Ra. 9300-34900 + GP Ra. 4200	Selection & Non-selection Post.	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years	(1) 80% - By Limited Departmental examination and selection (2) 20% - By non-selection.	1. Limited Departmental Examination and selection by Departmental Promotion Committee. Junior Purchase Assistants in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 2400 with a minimum of 5 years qualifying service in the grade. 2. Non-selection: Junior Purchase assistants in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 2400 with a minimum of 10 years regular service in the grade. Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	1) Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores - Chairman 2) Deputy Controller of Accounts or Accounts Officer, Directorate of Purchase and Stores - Member 3) Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores - Member 4) Administrative Officer, Directorate of Purchase and Stores - Member 5) A Scientific Officer/ Engineer grade 'D' or above from one of the constituent units of Department of Atomic	Not Applicable

692 GI/13-11

<p>Energy Member</p>	
<p>considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.</p>	

1	4. Store Keeper 1667 (2013) (* Subject to variation depending upon workload)	General Central Service Group 'B' Non-Commissioned (Non-Ministerial)	PB-2 Ra. 9300-34800 + CP Ra. 4200	Selection & Non-selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years	(1) 80% - By Limited Departmental examination and selection (2) 20% - By non-selection.	(1) Limited Departmental Examination and selection by Departmental Promotion Committee: Junior Storekeepers in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 2400 with a minimum of 5 years qualifying service in the grade. (2) Non-selection: Junior Storekeepers in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 2400 with a minimum of 10 years regular service in the grade. Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay	(1) Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores- Chairman (2) Deputy Controller of Accounts or Accounts Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (3) Stores officer, Directorate of Purchase and Stores - Member (4) Administrative Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (5) A Scientific Officer/Engineer Grade "D" or above from one of the constituent units of Department of Atomic Energy- Member	13 Not Applicable
---	--	--	-----------------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------	--	--	--	----------------------

SCHEDULE III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band with Grade Pay/Scale	Whether Selection Post or Non-selection Post.	Age limit for Direct Recruits if any relaxation is available (e.g. Departmental candidates SC/ST/OBC, FWD etc.) to be mentioned here)	Educational and other qualifications required for Direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of Recruitment: whether direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/absorption from which grades from which promotion/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1-Junior Purchase Assistant	130* (2013) (* Subject to variation depending upon workload)	General Central Service Group 'C' Non-Grouped (Non-Ministerial)	PB-1, Ra. 5200-20200 + GP Ra. 2400	Selection & Non-selection Post	27 years Note: (1) Relaxable for SC/ST/OBCs and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time. (2) Relaxable cumulatively with any other age relaxation for SCs/STs/OBCs. (3) The crucial date for determination of the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Graduate from any recognised University Diploma in Material Management will be preferred.	Not Applicable	Two years for direct recruitment Nil for promotees.	90% - By Direct Recruitment on the basis of competitive examination and selection 8% - By Promotion by Limited Departmental examination and selection. 2% - Non-selection	1. Promotion by Limited Departmental Examination and selection by Departmental Promotion Committee: Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 1900 with a minimum of 4 years regular service in the grade. 2. Non-selection Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 1900 with a minimum of 8 years regular service in the grade. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. Note 2: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year. Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than	(1) Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores- Chairman (2) Deputy Controller of Accounts or Officer, Directorate of Purchase and Stores-Member (3) Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores-Member (4) Stores Officer, Directorate of Purchase and Stores-Member (5) Administrative Officer, Directorate of Purchase and Stores-Member (6) Scientific Officer or Engineer grade 'D' or above from one of the constituent units of Department of Atomic Energy-Member	Not Applicable

692 GI/13-12

<p>half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Note 5: The selection will involve interview of the candidates.</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Junior Store Keeper	303* (2013) * Subject to variation depending upon workload	General Central Service Group 'C' Non- Ministerial (Non-Quotified)	PB-1, Ra. 5200-20200 + GP Ra. 2400	Selection & Non-selection Post	27 years Note: (1) Relaxable for SC/ST/OBCs and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time. (2) Relaxable cumulatively with any other age relaxation for SCs/STs/OBCs. (3) The crucial date for determination of the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Graduate from any other recognised University Diploma in Material Management will be preferred.	Not Applicable	Two years for direct recruitment Nil for promotees.	90% - By Direct Recruitment on the basis of competitive examination and interview. 8% - By Promotion by Limited Departmental examination and selection. 2% - Non-selection	1. Promotion by Limited Departmental examination and selection by Departmental Promotion Committee. Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 1900 with a minimum of 4 years regular service in the grade. 2. Non-selection Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Ra. 1900 with a minimum of 8 years regular service in the grade. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. Note 2: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year. Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6 th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or the pay scale extended based on the recommendations of the	(1) Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores- Member (2) Deputy Controller of Accounts or Director of Purchase and Stores- Member (3) Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (4) Stores Officer, Directorate of Purchase and Stores - Member (5) Administrative Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (6) Scientific Officer or Engineer grade 'D' or above from one of the constituent units of Department of Atomic Energy - Member	Not Applicable

		<p>Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>							
<p>Note 5: The selection will involve interview of the candidates.</p>									

[F. No. 22/1(1)/2010-CCS/Vol. II/2046]
SWATI PANDEY, Director